दिहाड़ीदार मज़दूरों के हक डकारती सरकार, पंजीकृत करने के लिए दलाली खाते हैं श्रम विभाग के अफ़सर

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूर वर्ग का सबसे निरीह भाग है दिहाड़ीदार मज़दूर। वह हर सुबह अपना श्रम बेचने को लेबर चौक पर आकर बैठता है, कोई खरीदार उसे ले जाय तो उस दिन की दिहाड़ी (मज़दूरी) मिल जाती है वरना खाली हाथ वापस चला जाता है। इन्हीं मज़दूरों के कल्याण के लिये केन्द्र सरकार ने एक कानून बना कर तमाम राज्य सरकारों को दिया है जिसके अनुसार राज्य का श्रम विभाग, प्रत्येक उस भवन निर्माता से एक प्रतिशत की दर से एक टैक्स वसूलता है जो 10 लाख से अधिक लागत का भवन निर्माण करता हो। यानी 10 लाख पर 10 हजार का टैक्स।

टैक्स वसूलने वाले अधिकारी पहला भ्रष्टाचार तो टैक्स वसूली के समय करते हैं। वे अपनी मर्जी से भवन निर्माण की लागत तय करते हैं। जाहिर है कम लागत आंकने के बदले बिल्डर कुछ न कुछ अधिकारियों के मुंह में डालेगा ही और जो नहीं डालेगा उसकी लागत को बढा-चढा कर टैक्स वसूलना तो फ़िर उनका अधिकार है ही। बहुत अच्छी पार्टी मिल जाय तो मामला बिल्कुल गोल भी किया जा सकता है।

एकत्र किया गया टैक्स चंडीगढ स्थित श्रम विभाग के मुख्यालय में भेज दिया जाता है। बीसियों बरस से चल रहे इस फ़ंड में सैकड़ों करोड़ आ चुके हैं। आरटीआई लगाने के बावजूद कोई अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं कि प्रति वर्ष कितना टैक्स आया और कितना, कहां-कहां खर्च किया गया। यानी सारा मामला गोलमाल का है।

पंजीकरण का घोटाला

इस फंड से केवल उन्हीं मज़दूरों को लाभ एवं सुविधायें मिल सकती हैं जिनका

कामरेड जेएस वालिया

पंजीकरण विभाग द्वारा किया जाय। पंजीकरण के लिये श्रम विभाग के अधिकारी, बी.डी.पी.ओ., तहसीलदार आदि स्तर के अधिकारी अधिकृत हैं। परन्तु इनमें से किसी भी अधिकारी ने कभी किसी मज़दूर को पंजीकृत नहीं किया; जाहिर है कौन इस 'फ़ालतू' के काम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाये।

कानून बनाने वालों को भी इस हकीकत का पहले से ही ज्ञान था, लिहाज़ा कानून में पंजीकृत मज़दूर यूनियन द्वारा पंजीकरण का प्रावधान रखा गया। पंजीकरण कराने वाले मज़दूर से सरकार का श्रम विभाग 85/-रुपये बतौर शुल्क पहली बार व बाद में 60/- रुपये सालाना वसूलता है। इस शुल्क वसूली का हास्यास्पद पहलू यह है कि इसके लिये मज़दूर बैंक ड्राफ़्ट बनवा कर लाये। यानी बैंक की लाइन में लग कर एक दिहाड़ी खराब करे व 100-50 रुपये बैक को ड्राफ़्ट बनवाई के रूप में दे।

इन समस्याओं को हल करने के लिये मज़दूरों ने कॉमरेड जेएस वालिया के नेतृत्व में **'हरियाणा निर्माणकर्ता मज़दूर सभा'** का गठन किया। गठन तो कर लिया परन्तु इसका पंजीकरण कराने के लिये उन्हें करीब 3 साल तक चंडीगढ श्रम विभाग मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़े, तब कहीं जाकर इस संगठन का पंजीकरण हो पाया। चंदे के रूप में संगठन प्रत्येक सदस्य मज़दूर से 10 रुपये मासिक के हिसाब से 120 रुपये सालाना व विभाग की फ़ीस के 85 रुपये एक मुश्त लेकर सैंकड़ों मज़दूरों का सामूहिक एक बैंक ड्राफ़्ट बनवा कर श्रम विभाग को सौंप देता है।

परन्तु श्रम विभाग को यह रास नहीं आता। क्योंकि पंजीकृत होने वाले मज़दूरों को जो लाभ एवं सुविधायें कानूनन मिलनी हैं, उन्हें वे इतनी आसानी से अथवा बिना कोई 'सेवा पानी' लिये कैसे दे सकते हैं? श्रम विभाग ही क्या देश का कोई भी विभाग बिना किसी 'सेवा पानी' के किसी को कुछ देना अपनी शान एवं नियम विरुद्ध समझता है। कॉमरेड वालिया के उक्त संगठन से जब श्रम विभाग किसी प्रकार की 'सेवा शुल्क वसूली' करने में नाकाम रहा तो विभागीय अधिकारियों ने मज़दूरों के पंजीकरण को कभी इस तो कभी उस बहाने से रोकना शुरू कर दिया।

दूसरी ओर श्रम विभाग ने अपने दलालों के रूप में किसी चाय वाले या साइकिल पंचर लगाने वाले को एक मुहर बनवा कर दे दी तथा उनके द्वारा भेजे गये मज़दूरों का पंजीकरण करने लगा। जब इस अवैध धंधे पर सवाल ज्यादा उठने लगे तो तुर्त-फ़ुर्त **'हरियाणा निर्माता मज़दूर संघ'** के नाम से एक समानान्तर संगठन पंजीकृत करा दिया गया। इसके संचालक श्रम विभाग के सेवानिवृत अधिकारी बताये जाते हैं।

श्रम विभाग की मिलीभगत एवं **'सेवा-पानी'** के फ़लस्वरूप पंजीकृत होने वाले मज़दूरों को बिना किसी देरी के निम्नलिखित सुविधायें मिलनी चाहिए:-

1. मातृत्व लाभ-एक साल पहले से पंजीकृत महिला मज़दूर को दो प्रसवों तक 36-36 हज़ार रुपये मिलेंगे जो तीसरी लड़की पैदा होने पर भी मिलेंगे।

2. पितृत्व लाभ-पिता बनने वाले मज़दूर को भी 15000 रुपये मिलेंगे।

3. शिक्षा हेतु-3 से 12 हज़ार रुपये तक प्रति बच्चा, उसके स्कूल अथवा कॉलेज की जरूरत के हिसाब से मिलेंगे।

4. औजार आदि खरीदने के लिये 5000 रुपये सालाना मिलेंगे।

5. महिला मज़दूर को जीवन में एक बार सिलाई मशीन खरीदने हेतु 3500 रुपये मिलेंगे।

6. बाइसिकल खरीदने हेतु 3000 रुपये हर 3 साल बाद मिलेंगे।

7.कपड़े आदि खरीदने हेतु महिला मज़दूरों को 5100 रुपये वार्षिक मिलेंगे।

8. अपने 5 सदस्यों के परिवार सहित गांव जाने के लिये साल में एक बार वास्तविक यात्रा भाड़ा।

9. इसी तरह 4 साल में एक बार सपरिवार तीर्थ अथवा ऐतिहासिक स्थल यात्रा पर जाने का वास्तविक भाड़ा।

10. कन्यादान योजना के तहत बेटी की शादी हेतु 51000 रुपये।

11. अन्य बच्चों की शादी हेतु 11000 रुपये।

12. चिकित्सा हेतु 50000 वार्षिक तक बीमा शुल्क

13. बिमारी के दौरान न्यूनतम निर्धारित वेतन के हिसाब से सहायता राशि।

14.गंभीर एवं खतरनाक बीमारी के इलाज हेतु 100 000 रुपये तक।

15. विकलांग बच्चों के लिये 2000 रुपये मासिक

16. 60 वर्ष की आयु उपरांत 1000 रुपये मासिक पेंशन।

17. पेंशनर पति या पत्नी की मृत्यु पश्चात फैमिली पेंशन 500 रुपये मासिक

18. कार्य स्थल पर कार्य करते समय विकलांग होने पर डेढ से तीन लाख तक का मुआवजा।

19. श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 2 लाख रुपये का मुआवजा।

20. कार्यस्थल पर दुर्घटना से मरने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा उसके आश्रितों को।

21. दाह संस्कार हेतु 15 हज़ार रुपये।

22. कार्यस्थल पर काम करते दुर्घटना में मारे जाने वाले ग़ैर-पंजीकृत मज़दूर को भी ढाई लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान है।

23. घर खरीदने के लिये 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज।

कानून बनाकर उक्त सुविधाओं का ढिंढोरा तो सरकार पीट रही है परन्तु वास्तव में देश भर के 2 प्रतिशत मज़दूरों को भी उक्त सुविधाऐं नहीं मिल पा रही हैं।

फ़रीदाबाद ज़िले में इस तरह के मज़दूरों की संख्या लाखो में है लेकिन सरकारी हरामखोरी और रिश्वतखोरी के चलते नाममात्र मज़दूर ही पंजीकृत हो पाये हैं और इनको भी उक्त सुविधा मिल पाती है।

कोई गारंटी नहीं मज़दूरों को सुविधायें प्रदान करने की अपेक्षा खट्टर सरकार सस्ती रोटी की कैंटीन का नाटक कर ग़रीब मज़दूरों के जले पर नमक ही तो लगा रही है।

कांग्रेस के पुराने पाप आसानी से पीछा नही छोड़ेंगे

- गिरीश मालवीय

कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी को आप एक शुरुआत ही मानिए, आईएनएक्स वाले केस में हवा चिदम्बरम के खिलाफ है, आपस मे कुछ डील हो जाए तो अलग बात है लेकिन जैसे यह ठंडा होने लगेगा एयरसेल मैक्सिस वाला केस तैयार पड़ा हुआ है।

शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी अपने तमाम बड़े संपर्क सूत्रों का लाभ इसलिए नही उठा पायी कि उसे इस बड़े मामले में कुर्बानी देनी ही थी। सीबीआई ने दावा किया था कि शीना की हत्या के पीछे भी वित्तीय लेन-देन का मकसद था। सीबीआई का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने किया। उन्होंने अदालत से कहा, आईएनएक्स जिसमें पीटर और इंद्राणी साझेदार थे सौदों से घपला कर निकाला गया धन सिंगापुर में शीना बोरा के एचएसबीसी खाते में भेजा गया था ओर यही धन शीना बोरा की मौत की वजह बन गया।

आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को बताया कि कार्ति चिदंबरम ने एफआईपीबी (फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) क्लीयरेंस के लिए करीब साढ़े 6 करोड़ रुपये (.1 मिलियन) की मांग की थी।

सरकार को यही तो चाहिए था इस बयान के आधार पर उसने कार्ति चिदम्बरम को टांग दिया है और गलत भी नही टांगा है।

2008 में खबरें आईं कि कार्ति की कंपनी को आईएनएक्स मीडिया से पैसा और शेयर ट्रांसफर हुए। ये भी कहा गया कि आईएनएक्स के मालिक पीटर मुखर्जी ने कार्ति को किश्तों में कई बार पैसा दिया. कहा गया कि इस पैसे के बदले कार्ति अपने पिता पी चिदंबरम से कहकर आईएनएक्स मीडिया के निवेश को मंजूरी दे दी।

कुछ ऐसा ही मामला एयरसेल मैक्सिस का भी था

सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, मैक्सिस की सहायक कंपनी ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 800 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी इसमें भी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का सम्बंध बताया जाता है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इस मामले में अनुमति के लिए सक्षम थी। हालांकि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा इस संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। इस मामले में कार्ति के शामिल होने का आरोप है, जैसे ही वह ढ्ढह्ल्ल के मामले में बचने की कोशिश करेंगे उन्हें एयरसेल मैक्सिस में घेर लिया जाएगा।

INX ओर एयरसेल मैक्सिस दोनों ही मामलों में नीरा राडिया का रोल है लेकिन मीडिया कभी उसका नाम नही लेगा। बड़े बड़े पत्रकारों और संपादको की उसका नाम सुनते ही जुबान तालू से चिपक जाया करती है।

सुप्रीम कोर्ट पर कब्जे के लिये घमासान जारी

पिछले महीने यानी 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस का मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट को कब्जाने की कोशिशों को नंगा करने के बावजूद मोदी का यह बेशर्मी भरा अभियान जारी है।

ध्यान रहे कि 12 जनवरी को भारत की उच्चतम अदालत के चार वरिष्ठतम जजों ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी। उसमें जो बात उन्होंने कही उसका लब्बो-लुआब यह था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरकार की मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं क्योंकि वो राजनैतिक रूप से सभी महत्वपूर्ण मुकदमों को एक ऐसे जज, अरूण मिश्रा, को सौंप देते हैं जो मोदी सरकार के पिट्ठु हैं। हालांकि इन सीधे आरोपों और बैइज्जती के बाद जज अरूण मिश्रा ने जस्टिस लोया हत्याकांड को अपनी अदालत से रूखसत कर दिया लेकिन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा अपनी बेशर्मी पर कायम है।

इसी कड़ी में ताज़ातरीन मामला दो जजों की नियुक्ति का है। इनमें एक जज सूर्यकान्त पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के हैं जिन्हें हिमाचल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफ़ारिश सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम ने की भी और दूसरे उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसफ़ हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाये जाने की सिफारिश की गयी थी। केन्द्र सरकार ने इन दोनों को इसलिये ये नयी नियुक्तियां देने से मना किया है कि इसमें इनकी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है। यानी इनसे सीनियर जज मौजूद होते हुये भी इन जूनियरों को यह सीट दी जा रही है।

ध्यान रहे कि सीनियरटी यानी कि वरिष्ठता की बात वह मोदी सरकार उठा रही है जो कई पदों पर बेशर्मी से जूनियर लोगों को बिठा चुकी है जिनमें से भारतीय फ़ौज के प्रमुख यानी जनरल विपिन रावत एक हैं।

ध्यान रहे कि सीनियरटी यानी कि वरिष्ठता की बात वह मोदी सरकार उठा रही है जो कई पदों पर बेशर्मी से जूनियर लोगों को बिठा चुकी है जिनमें से भारतीय फ़ौज के प्रमुख यानी जनरल विपिन रावत एक हैं।

ध्यान रहे कि ये वही जज के.एम. जोसेफ़ हैं जिन्होंने 2016 में मोदी के बेशर्मी से उत्तराखण्ड सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने के फ़ैसले को दुत्कार दिया था। उसी का बदला मोदी सरकार अब उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोकने में रोड़े अटका कर ले रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से इनको जूनियर होते हुये भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफ़ारिश की। पर सभी संस्थाओं में अपने चमचों को बिठाने को आतुर मोदी को यह कहां मंजूर हो सकता था। इसलिये हर जगह मैरिट, काबलियत की बात करने वाली मोदी सरकार ने इनकी सीनियरटी नीचे होने का हवाला देते हुये इनकी प्रमोशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

इसी तरह जज सूर्यकान्त को प्रोन्नति पर हिमाचल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने को भी यह कह कर ठुकरा दिया गया है कि वे श्री ए के मित्तल से जूनियर हैं। मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य भी सारे विद्वान हैं कोई घसखोदे नहीं। जब उन्होंने अपने पत्र में इन दोनों जजों के जूनियर होते हुये भी (इसका बाकायदा जिक्र कर के) उनको प्रमोट करने की सफ़ारिश/अनुशंसा की है तो किसी कारण से ही। वो आपकी तरह अयोग्य लोगों से शायद उच्च पदों को भरने के कायल नहीं होंगे।

अब देखना सिर्फ़ यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों की न्याय की आकांक्षा पूरा कर पायेगा, उनके विश्वास पर खरा उतर पायेगा और इन जजों की नियुक्ति पर अडिग रहेगा या मोदी की गुंडागर्दी चलेगी।

अजातशत्रु